5-5/10 होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 2-7-18
को पेश हो।

न्याय आपके द्वार 201

13-6-18 पत्रावली मय साक्ष्य लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाणी में रेमुई/पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा मूल वाद का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि पर सर्वे के रिकार्ड में रास्ता नहीं दोनों पक्षकारों का है तथा वर्तमान रिकार्ड में पगडंडी मुख डोरा लाईन का रास्ता दर्ज किया गया है। पार्टी के वाद प्रस्तुतीकरण में अपने अपने मामले का निर्धारण किया जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आवेदन में रास्ते पर रहे [illegible] नामोचित नहीं है। पार्टी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पार्टी के पक्ष में जाता है। अतः पार्टी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में साक्ष्य सुनकर दोनों पक्षकारों के मत के तथा वादग्रस्त भूमि पर स्थित लेख पटवार हाउस मूल वाद के अवलोकन से। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाणी के मामले आपस में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

[illegible]
सहायक कलक्टर
जैतारण